

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-13/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0001-
निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान के अंतर्गत कुल रु० 7.28 लाख (सात
लाख अठाईस हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-
प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु
शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद
अनुदान, माँग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010001 में विषय शीर्ष-35 01-
नगद/वस्तु के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार हैं-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	2245-02-101-0001- निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान, विषय शीर्ष-35 01-नगद/वस्तु (बाढ़ के मददेनजर)		आवंटन का कुल योग
		पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	
1	पटना	0.00	7.00	7.00
2	मुंगेर	0.00	0.21	0.21
3	कटिहार	0.00	0.07	0.07
कुल		0.00	7.28	7.28

- उक्त आवंटित राशि से वर्ष 2025 के लिए बाढ़ राहत (GR) राशि के भुगतान हेतु
संबंधित जिलों द्वारा व्यय किया जाएगा।
- आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की
जाएगी।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के
आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मो० नदीमुल गफफार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-13/2026/19...../आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-30-04-26

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, पटना, मुंगेर एवं कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/4
30/4
संयुक्त सचिव